राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका सं.6599/2025

रविन्द्र गुर्जर पुत्र श्री उदय लाल गुर्जर, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी देवली ग्रामीण, उदयपुर (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये निदेशक सह विशेष सचिव, निदेशालय स्थानीय स्वशासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राजस्थान) ।
2. उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राजस्थान), जरिये आयुक्त ।

----प्रत्युत्तरदातागण

.....

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री अंकुर माथुर

प्रत्युत्तरदाता(ओं) के लिए : श्री विजय पुरोहित

.....

माननीय न्यायाधिपति सुश्री रेखा बोराणा

आदेश

रिपोर्ट-योग्य

09/05/2025

1. वर्तमान रिट याचिका दिनांक 19.03.2025 (अनुलग्नक 4) के आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को उदयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त द्वारा उसके मूल विभाग अर्थात नगर परिषद, मकराना में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दो आधार उठाए :

(i) सबसे पहले, याचिकाकर्ता को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम , 2009 (इसमें इसके पश्चात् '2009 का अधिनियम' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 336 के निबंधनों के अनुसार आदेश दिनांकित 20.09.2023 (अनुलग्नक 2) द्वारा उदयपुर विकास प्राधिकरण , उदयपुर (इसमें इसके पश्चात् यूडीए' के रूप में निर्दिष्ट) में स्थानांतरित कर दिया गया था। उक्त आदेश राज्य सरकार की अनुशंसा पर पारित किया गया था और इसलिए यह एक सामान्य स्थानांतरण आदेश था। इस प्रकार, यदि याचिकाकर्ता को उसके मूल विभाग में वापस स्थानांतरित किया जाता है , तो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित स्थानांतरण आदेश होना आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि केवल राज्य सरकार ही याचिकाकर्ता को स्थानांतरित करने के लिए सक्षम है।

(ii) दूसरा, दिनांक 20.09.2023 के आदेश को प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण का आदेश नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, आयुक्त, यूडीए राज्य सरकार की सहमति/अनुमोदन/ मंजूरी के बिना याचिकाकर्ता को कार्यमुक्त करने के लिए सक्षम नहीं थे।

3. इसके विपरीत प्रत्युत्तरदाता-विभाग के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यद्यपि दिनांक 20.09.2023 के आदेश में इसे स्थानांतरण आदेश दर्शाया गया था , किन्तु वास्तव में यह प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण था। अधिवक्ता ने कहा कि धारा 336 के अनुसार, 2009 के अधिनियम की धारा (2) के निबंधनों के अनुसार, नगरपालिका के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को राज्य सरकार द्वारा किसी भी विकास प्राधिकरण में स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन तब, उक्त उपबंध का परंतुक विशेष रूप से यह उपबंध करता है कि ऐसे अधिकारी या कर्मचारी का धारणाधिकार मूल नगरपालिका में बना रहेगा। इसका अर्थ यह है कि 2009 के अधिनियम की धारा 336 (2) के निबंधनों के अनुसार किया गया स्थानांतरण वास्तव में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण है। यदि यह एक सामान्य स्थानांतरण आदेश होना आशयित होता ,

तो धारा 336 के उप-खंड (2) के उपाबद्ध परंतुक को शामिल नहीं किया गया होता। स्वयं परंतुक को शामिल करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 336 (2) के तहत पारित कोई भी आदेश प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण का आदेश है।

4. अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को यूडीए में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित कर दिया गया है, यूडीए के आयुक्त को उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 (इसमें इसके पश्चात् '2023 का अधिनियम' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 8 के निबंधनों के अनुसार अपनी पर्यवेक्षी शक्तियों का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता को उसके मूल विभाग में वापस भेजने का पूर्ण अधिकार है।

5. अपने तर्कों के समर्थन में अधिवक्ता ने ***कुणाल नंदा बनाम भारत संघ एवं अन्य (2000) 5 एससीसी 362*** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और ***श्री सीताम्बर सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य डब्ल्यूपी (सी) 12773/2009*** (15.07.2010 को निर्णीत) में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया।

6. अधिवक्तागण को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

7. वर्तमान मामले में विचार के लिए उद्भूत विवाद्यक निम्नलिखित हैं :

(i) क्या प्रश्नगत स्थानांतरण साधारण स्थानांतरण है या प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण है ?

(ii) क्या आयुक्त, यूडीए को प्रतिनियुक्ति के आदेश को रद्द करने और याचिकाकर्ता को उसके मूल विभाग में वापस भेजने का अधिकार है?

(iii) क्या किसी कर्मचारी को अपने प्रतिनियुक्त स्थान पर बने रहने का निहित अधिकार है ?

8. 2009 के अधिनियम की धारा 336 इस प्रकार है:

"धारा 336. एक नगरपालिका से दूसरी नगरपालिका में स्थानांतरण।-(1) किसी नगरपालिका का कोई अधिकारी या कर्मचारी, जो अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा या चतुर्थ श्रेणी सेवा का सदस्य है, राज्य सरकार द्वारा एक नगरपालिका की सेवा से दूसरी नगरपालिका की सेवा में स्थानांतरित किया जा सकेगा।

(2) नगरपालिका के किसी अधिकारी या कर्मचारी को राज्य सरकार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण या जोधपुर विकास प्राधिकरण या राजस्थान आवासन मण्डल या किसी नगरीय सुधार न्यास या किसी अन्य स्थानीय निकाय में ऐसे पद पर स्थानांतरित किया जा सकेगा जिसका वेतनमान स्थानांतरित किए जाने वाले अधिकारी या कर्मचारी के वेतनमान से कम न हो ;

परंतु यह तब जबकि स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी का धारणाधिकार मूल नगरपालिका में बना रहेगा और जब कभी नगरपालिका में उसके संवर्ग में उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा, तो उसे आगे पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा।"

9. उपर्युक्त उपबंध के परिशीलन मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि नगरपालिका के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर किसी भी विकास प्राधिकरण या आवास बोर्ड में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त , उपर्युक्त उपबंध के लिए परंतुक यह उपबंध करता है कि ऐसे स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी का धारणाधिकार मूल नगरपालिका में बना रहेगा , जिससे विधान का आशय स्पष्ट होता है कि धारा 336(2) के निबंधनों के अनुसार किया गया स्थानांतरण मूल नगरपालिका के धारणाधिकार के अधीन है।

10. सेवा न्यायशास्त्र में धारणाधिकार की अवधारणा केवल एक विभाग /राज्य/सरकार से दूसरे में कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति के मामलों में लागू होती है। 2009 के अधिनियम की धारा 336(2) के उपबंध में 'धारणाधिकार' शब्द को शामिल करने का कोई अन्य अर्थ नहीं लगाया

जा सकता है कि उक्त उपबंध के अनुसार किया गया स्थानांतरण 'प्रतिनियुक्ति' होगा। उक्त निष्कर्ष इस तथ्य से और सिद्ध होता है कि उपबंध में ही यह प्रावधान किया गया है कि संबंधित कर्मचारी की वरिष्ठता आदि मूल विभाग के अनुसार शासित होगी। जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने ***श्री सीतांबर सिंह*** (सुप्रा) के मामले में टिप्पणी की है, 'प्रतिनियुक्ति' और 'स्थानांतरण' में बहुत अंतर नहीं है। उसमें, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ***वी.एच.के. मूर्ति बनाम विशेष सुरक्षा समूह एवं अन्य; 2000 (54) डीआरजे 157*** के पहले के निर्णय का संदर्भ देते हुए टिप्पणी की है कि प्रतिनियुक्ति मात्र एक सरकारी कर्मचारी का एक विभाग से दूसरे विभाग में अथवा एक सरकार से दूसरी सरकार में स्थानान्तरण है। न्यायालय ने 'प्रतिनियुक्ति' शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया है:

> *"प्रतिनियुक्ति" स्वयं एक संविदागत तदर्थ व्यवस्था है, तथा यह प्रतिनियुक्तिकर्ता को प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी करने या ऐसी अस्थायी व्यवस्था के नियमितीकरण के लिए शायद ही कोई अधिकार प्रदान करती है।*

11. जैसी इसमें इसके पश्चात् निर्मित समग्र टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए , यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यद्यपि किसी नगरपालिका के कर्मचारी को राज्य सरकार द्वारा विकास प्राधिकरण या आवास बोर्ड में स्थानांतरित किया जा सकता है , लेकिन फिर भी यह 'प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण' है।

12. यह न्यायालय उपर्युक्त सुविचारित राय इस कारण से भी रखता है कि 2009 के अधिनियम की धारा 330 के अलावा, न तो 2009 के अधिनियम में और न ही 2023 के अधिनियम में, किसी नगरपालिका के किसी कर्मचारी की 'प्रतिनियुक्ति' या प्रतिनियुक्ति के प्रतिसंहरण का कोई अन्य उपबंध नहीं है। केवल 2009 के अधिनियम की धारा 330 ही

प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्ति का उपबंध करती है। 2009 के अधिनियम की धारा 330 में निम्नलिखित उपबंध हैं :-

> ***330.*** **सेवा में पदों पर भर्ती .-**
>
> *(1) सेवा के सृजन और गठन पर, उसमें सभी पदों पर नियुक्तियां, धारा 337 के अधीन किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए और धारा 339 के अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, धारा 332, 333 या 335 के उपबंधों के अनुसार की जाएंगी।*
>
> *(क) सीधी भर्ती द्वारा,*
>
> *(ख) पदोन्नति द्वारा,*
>
> *(ग) स्थानांतरण द्वारा, या*
>
> *(घ) असाधारण मामले में प्रतिनियुक्ति द्वारा , जब पात्र व्यक्ति नगरपालिका सेवा में उपलब्ध न हो।*
>
> *(2) राज्य सरकार वे निबंधन और शर्तें निर्धारित करेगी जिन पर राज्य सेवा से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्तियां की जाएंगी।*
>
> *(3) राज्य सरकार के अनुमोदन से तथा ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के अनुरूप, जो वह समय-समय पर जारी करे, किसी नगरपालिका का कोई अधिकारी या कर्मचारी, जो उस सेवा का सदस्य है, किसी अन्य नगरपालिका की सेवा में स्थानांतरित किया जा सकेगा।*
>
> *(4) नगरपालिका के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि, -*
>
> *(क) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति अभिप्राप्त किए बिना राज्य सरकार के किसी विभाग से किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर लेना ,*
>
> *(ख) राज्य सरकार के आदेश प्राप्त किए बिना किसी अधिकारी या कर्मचारी को कार्यमुक्त करना,*

(ग) किसी अधिकारी या कर्मचारी को ड्यूटी पर आने से मना करना या अनुमति न देना, जब ऐसा कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरित या प्रतिनियुक्त किया जाता है।

13. उपर्युक्त उपबंध के परिशीलन मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी व्यक्ति को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन, किसी नगरपालिका में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, किसी व्यक्ति को नगरपालिका से प्रतिनियुक्त किया जा सकता है , लेकिन पुनः, राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन।

14. रूचिकर बात यह है कि उपर्युक्त उपबंध, नगरपालिका में प्रतिनियुक्ति और नगरपालिका से प्रतिनियुक्ति का उपबंध तो करता है , लेकिन इसमें प्रतिनियुक्त कर्मचारी को नगरपालिका में वापस भेजने के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई है। इस परिस्थिति में केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सेवा न्यायशास्त्र के सामान्य सिद्धांत , जो प्रतिनियुक्ति के मामलों में लागू होते हैं, यहाँ भी लागू होंगे।

15. स्वीकार्यतः, 20.09.2023 का आदेश, 2009 के अधिनियम की धारा 336 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था , क्योंकि यह राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका से विकास प्राधिकरण को हस्तांतरण था।

16. इस न्यायालय का स्पष्ट मत है कि प्रश्नगत स्थानांतरण (दिनांक 20.09.2023 का आदेश) निश्चित रूप से 2009 के अधिनियम की धारा 336 (2) द्वारा शासित 'प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण' है। विवाद्यक सं. (i) का उत्तर इसी प्रकार दिया जाता है।

17. विवाद्यक सं. (ii) पर आते हैं, अर्थात् क्या विकास प्राधिकरण का आयुक्त किसी नगरपालिका के कर्मचारी को वापस भेजने के लिए सक्षम है ?

18. 2023 के अधिनियम की धारा 8 (1) में निम्नानुसार उपबंध है:

> ***8. उदयपुर विकास आयुक्त, निदेशक, सचिव इत्यादि की नियुक्ति:-****(1) राज्य सरकार अपने किसी अधिकारी को उदयपुर विकास आयुक्त के रूप में ऐसे वेतन और भत्ते तथा सेवा की ऐसी शर्तों पर नियुक्त करेगी, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जा सकती हैं। वह प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और इसके सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा, जिसमें* ***समय-समय पर प्राधिकरण, या कार्यकारी समिति, या किसी अन्य समिति या किसी कार्यात्मक बोर्ड या उसके किसी निकाय में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त सरकार का कोई भी अधिकारी शामिल है****। वह प्राधिकरण को देय सभी राशियों के संग्रह और उसके द्वारा देय सभी राशियों के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा। वह प्राधिकरण की नकद शेष राशि सहित सभी परिसंपत्तियों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उक्त शक्तियों और कर्तव्यों और प्राधिकरण या कार्यकारी समिति या किसी अन्य समिति या किसी कार्यात्मक बोर्ड या उसके किसी निकाय द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों और कर्तव्यों के अलावा, वह निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग भी करेगा, निम्नलिखित कार्यों का पालन करेगा और निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात:-*
>
> *(i) प्राधिकरण की परिचालन इकाइयों का प्रबंधन और पर्यवेक्षण;*
>
> *(ii) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्राधिकरण या कार्यकारी समिति द्वारा स्वीकृत संख्या के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति, जैसा भी मामला हो, जिसमें प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार उन्हें हटाना, बर्खास्त करना या अन्यथा दंडित करना शामिल है;*
>
> *(iii) प्राधिकरण के प्रबंधन के लिए आंतरिक प्रक्रिया का प्रख्यापन;*
>
> *(iv) प्राधिकरण की परियोजनाओं और स्कीमों का प्रशासन;*
>
> *(v) इस अधिनियम के अधीन दी जाने वाली अपेक्षित किसी अनुमति का प्रदान करना या प्राधिकरण की ओर से उसे अस्वीकार करना;*

(vi) निविदाएं आमंत्रित करना, उनकी जांच करना तथा जहां मूल्य एक करोड़ रुपए से अधिक न हो, वहां उन्हें अनुमोदित या अस्वीकृत करना तथा जहां मूल्य एक करोड़ रुपए से अधिक हो, वहां कार्यकारी समिति को सिफारिश करना;

(vii) प्राधिकरण के लिए और उसकी ओर से करार निष्पादित करना और अनुबंध करना; और

(viii) अन्य सभी शक्तियां, कार्य और कर्तव्य जो विनियमों द्वारा यथा अवधारित किए जा सकते हैं।

19. उपर्युक्त उपबंध के परिशीलन मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि आयुक्त , यूडीए वह प्राधिकारी है जिसे प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों या कर्मचारियों सहित अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने का अधिकार है।

20. इसके अतिरिक्त, 2009 के अधिनियम में उपरोक्त के विपरीत कोई उपबंध नहीं है। अतः, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आयुक्त , यूडीए को याचिकाकर्ता की प्रतिनियुक्ति रद्द करने और उसे उसके मूल विभाग में वापस भेजने का अधिकार है। विवाद्यक सं . (ii) इसी प्रकार विनिश्चित किया जाता है।

21. विवाद्यक सं. (iii) पर आते हैं - क्या किसी कर्मचारी को अपने प्रतिनियुक्ति स्थान पर बने रहने का निहित अधिकार है?

यह विवाद्यक अब अनिर्णीत विषय नहीं है। जैसा कि विधि की स्थापित स्थिति है , किसी भी कर्मचारी को उस पद पर बने रहने का निहित अधिकार नहीं है जहाँ उसे प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। सेवाएं उधार देने और लेने वाले प्राधिकारियों को यह अधिकार है कि वे आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति रद्द कर दें और कर्मचारी को उसके मूल विभाग में वापस भेज दें।

22. जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***कुणाल नंदा*** (पूर्वोक्त) में अभिनिर्धारित किया गया है, प्रतिनियुक्ति का मूल सिद्धांत यह है कि संबंधित व्यक्ति को किसी भी समय और हमेशा अपने मूल संवर्ग में किसी भी विभाग की प्रेरणा से उसके मूल पद पर कार्य करने के लिए वापस भेजा जा सकता है और ऐसे व्यक्ति को लंबे समय तक बने रहने या उस विभाग में आमेलित होने का कोई निहित अधिकार नहीं है, जिसमें उसे प्रतिनियुक्त किया गया है।

23. इसके अतिरिक्त, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ***गुरिंदर पाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य; सिविल रिट याचिका संख्या 7545/2004*** (30.09.2004 को निर्णीत) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रतिलाल बी. सोनी बनाम गुजरात राज्य; एआईआर 1990 एससी 1132** में पारित निर्णय का संदर्भ देते हुए, निम्नानुसार अवलोकन और अभिनिर्धारित किया:-

> *"12. सेवा न्यायशास्त्र में, "प्रतिनियुक्ति" को एक विभाग या संवर्ग के कर्मचारी को दूसरे विभाग या देखरेख में एक सुपुर्दगी के रूप में वर्णित किया गया है। प्रतिनियुक्ति पर भेजने की आवश्यकता "लोकहित" में "लोक सेवा" की अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पन्न होती है। प्रतिनियुक्ति की संकल्पना नियोक्ता की अपने कर्मचारी की सेवाएँ उधार देने की सहमति और स्वैच्छिक निर्णय, उधारकर्ता नियोक्ता द्वारा ऐसी सेवा की तदनुरूप स्वीकृति और कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति पर जाने की सहमति पर आधारित है। प्रतिनियुक्ति तब तक बनी रहती है जब तक इस त्रिपक्षीय व्यवस्था के पक्षकार इसे निराकृत नहीं करते। हालाँकि, यदि कोई एक पक्ष करार का निराकरण करता है, तो अन्य दो पक्षों को प्रतिनियुक्ति जारी रखने पर ज़ोर देने का कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि उन मामलों में भी जहाँ प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति काफी लंबी अवधि तक कार्यरत रहते हैं और सेवाएं उधार लेने वाले विभाग में उनके "आमेलन" के विकल्प चुने गए थे, फिर भी मूल विभाग में उनके प्रत्यावर्तन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रतिलाल बी. सोनी बनाम गुजरात राज्य एआईआर 1990 एससी 1132** में*

बरकरार रखा गया था; यह अभिनिर्धारित किया गया कि "अपीलार्थी प्रतिनियुक्ति पर होते हुए और उन्हें किसी भी समय उनके मूल संवर्ग में वापस भेजा जा सकता है और उन्हें प्रतिनियुक्ति पद पर आमेलित होने का कोई अधिकार नहीं है। "

24. विवाद्यक सं. (iii) का उत्तर इस प्रकार दिया जाता है कि किसी भी कर्मचारी को अपने प्रतिनियुक्ति स्थान पर बने रहने का निहित अधिकार नहीं है और उसे सेवाए उधार देने या उधार लेने वाले विभाग, दोनों में से किसी की इच्छा/अनुरोध पर उसके मूल विभाग में वापस भेजा जा सकता है।

25. उपर्युक्त विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा निष्कर्षित विवाद्यकों के दृष्टिगत , आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप का कोई मामला निर्मित नहीं होता है।

26. अतः रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

27. स्थगन याचिका और लंबित आवेदन, यदि कोई हों, **निस्तारित** किए जाते हैं।

(रेखा बोराणा),जे

175-मनीला/-

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है , एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

अधिवक्ता अविनाश चौधरी